



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 317388/XXIV-B-5/2025-10(1)/2014

देहरादून, 01 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प० आ०-50

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में विहित प्रावधानों के आलोक में प्रख्यापित विनियम 2009 के द्वारा प्रख्यापित अध्याय-13 एवं अध्याय-14 के अन्तर्गत वर्तमान में कक्षा-9 से 12 हेतु प्रवृत्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 2 नवीन विषयों को सम्मिलित किये जाने तथा अधिसूचना संख्या-459/XXIV-5/2018-10(1) 2014 दिनांक 16 जनवरी, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोवर्णित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ-2 में चयनित व्यवसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यक्रम प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

विद्यमान विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)	एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)
विनियम(1) (नौ)(ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बर (Plumber)	विनियम (1) (नौ) (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बिंग (Plumbing) (12) फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त सतम्भ-2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय-तेरह के विनियम -3 (ड.) (ix) की तालिका में CODE-063 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा,अर्थात्-

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	PROJECT	INTERNAL ASSESSMENT (IS)	MAXIMUM MARKS	MINIMUM MARKS
064	Food Industry	30	50	—	20	100	33

विद्यमान विनियम अध्याय-चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा -11 तथा कक्षा- 12 का पाठ्यक्रम।	एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय-चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा -11 तथा कक्षा- 12 का पाठ्यक्रम।
विनियम-3(क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness)	अध्याय-चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा विनियम-3 (क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness)

(8)एग्रीकल्चर (Agriculture)	(8)एग्रीकल्चर (Agriculture)
(9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware)	(9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware)
(10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)	(10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling)
(11)प्लम्बर (Plumber)	(11) प्लम्बिंग (Plumbing)
	(12)एयरोस्पेस एण्ड एविएशन(Aerospace & Aviation)
	(13)फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त सतम्भ-2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय-चौदह के विनियम-4(viii) की तालिका में CODE-156 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्-

CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY		PRACTICAL		PROJECT		INTERNAL ASSESMENT (IS)		TOTAL	
		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
157	Aerospace & Aviation	30	10	50	16	-	-	20	07	100	33
158	Food Industry	30	10	50	16	-	-	20	07	100	33

अतः विनियम-2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,
रविनाथ रामन,
सचिव।